कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

क्रमांकः 80 दिनांकः 12.02.2025

– कार्यालय आदेश –

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं के अनुमोदन आदेश क्रमांक/स्थापना/2025/2160 दिनांक 12.02.2025 के उपरांत मैं कालूराम (आर.जे.एस.), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं एतद्द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1) व 13(2) (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) व 15(2)) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में झुंझुनूं जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेटस के मध्य कार्य विभाजन के लिए समय समय पर जारी आदेशों को अतिलंघित करते हुए दिनांक 13.02.2025 से झुंझुनूं जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेटस के मध्य कार्य विभाजन हेतु निम्ननुसार स्थानीय क्षेत्राधिकारिता परिनिश्चित करते हुए झुंझुनूं मुख्यालय पर नवसृजित न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय, झुंझुनूं एवं चिड़ावा मुख्यालय पर नवसृजित न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता भी निम्नानुसार परिनिश्चित करता हूंः–

क्र.सं.	**न्यायालय का नाम**	**क्षेत्राधिकार**
झुंझुनूं मुख्यालय		
01	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं	पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनू, महिला पुलिस थाना झुंझुनूं एवं साईबर पुलिस थाना, झुंझुनूं के क्षेत्राधिकार में उद्भुत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण (विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय, झुंझुनूं के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
		सम्पूर्ण जिले में उद्भुत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, चिटफंड अधिनियम, बीज अधिनियम, पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और

		मानक अधिनियम, राजकीय विभागों की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले परिवाद तथा अन्य केन्द्रीय व राज्य अधिनियमों के तहत प्रकरण जहां क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में ही निहित है।
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं	पुलिस थाना सदर, झुंझुनूं, पुलिस थाना बगड़ एवं पुलिस थाना धनूरी के क्षेत्राधिकार में उद्भुत होने वाले समस्त प्रकृति के अपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं एवं विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय, झुंझुनूं के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) एवं पुलिस थाना मण्डावा, मलसीसर, एवं बिसाउ के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/ धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण।
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं	पुलिस थाना मण्डावा एवं यातायात शाखा, झुंझुनूं के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं एवं विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय, झुंझुनूं के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
		आबकारी वृत, झुंझुनूं एवं आबकारी थाना झुंझुनूं में दर्ज होने वाले प्रकरण
04	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं	पुलिस थाना बिसाऊ एवं मलसीसर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं एवं विशिष्ट न्यायिक

		मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय, झुंझुनूं के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
05	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय, झुंझुनूं	पुलिस थाना मण्डावा, धनूरी, मलसीसर, बिसाऊ, सदर झुंझुनूं, कोतवाली झुंझुनूं एवं बगड़ के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले केवल मात्र परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित समस्त प्रकरण
नवलगढ़ मुख्यालय		
06	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	पुलिस थाना नवलगढ़, मुकुन्दगढ़ एवं गोठड़ा के क्षेत्राधिकार में उद्भुत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं एवं ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
		नवलगढ़ तहसील के क्षेत्र में आबकारी वृत, नवलगढ़ एवं आबकारी थाना, नवलगढ़ में दर्ज होने वाले समस्त प्रकरण
07	ग्राम न्यायालय, नवलगढ़	पुलिस थाना, नवलगढ़, मुकुन्दगढ़ एवं गोठड़ा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले वे आपराधिक प्रकरण, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं।
उदयपुरवाटी मुख्यालय		
08	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुवाटी	पुलिस थाना उदयपुरवाटी के क्षेत्राधिकार में उद्भुत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) एवं पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/ धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत

		दर्ज आपराधिक प्रकरण
		उदयपुरवाटी तहसील के क्षेत्र में आबकारी वृत, नवलगढ़ एवं आबकारी थाना, नवलगढ़ में दर्ज होने वाले समस्त प्रकरण
09	न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
खेतड़ी मुख्यालय		
10	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	पुलिस थाना खेतड़ी व बबाई के क्षेत्राधिकार में उद्भुत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) एवं पुलिस थाना बुहाना, सिंघाना, पचेरी कलां, खेतड़ी नगर एवं मेहाड़ा के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/ धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण
		आबकारी वृत, चिड़ावा एवं आबकारी थाना, खेतड़ी (केवल मात्र पुलिस थाना खेतड़ी, खेतड़ी नगर, मेहाड़ा व बबाई के क्षेत्राधिकार में दर्ज होने वाले प्रकरण)
11	न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	पुलिस थाना खेतड़ी नगर एवं मेहाड़ा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)

चिड़ावा मुख्यालय		
12	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	पुलिस थाना चिड़ावा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) एवं पुलिस थाना सुलताना एवं पुलिस थाना सूरजगढ़ में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/ धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण
13	न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	पुलिस थाना सुलताना के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
		आबकारी वृत चिड़ावा एवं आबकारी थाना चिड़ावा (केवल मात्र पुलिस थाना चिड़ावा व पुलिस थाना सुलताना के क्षेत्राधिकार में दर्ज होने वाले प्रकरण)
पिलानी मुख्यालय		
14	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी	पुलिस थाना पिलानी के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) एवं पुलिस थाना मण्ड्रेला में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता/धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5), 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण
15	न्यायिक	पुलिस थाना मण्ड्रेला के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने

	मजिस्ट्रेट, पिलानी	वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
		आबकारी वृत चिड़ावा व आबकारी थाना सूरजगढ़ (केवल मात्र पुलिस थाना पिलानी व पुलिस थाना मण्ड्रेला के क्षेत्राधिकार में दर्ज होने वाले प्रकरण)
सूरजगढ़ मुख्यालय		
16	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़	पुलिस थाना सूरजगढ़ के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
		आबकारी वृत चिड़ावा व आबकारी थाना सूरजगढ़ (केवल मात्र पुलिस थाना सूरजगढ़ के क्षेत्राधिकार में दर्ज होने वाले प्रकरण)
बुहाना मुख्यालय		
17	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना	पुलिस थाना बुहाना, पचेरी कलां एवं सिंघाना के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
		आबकारी वृत चिड़ावा व आबकारी थाना बुहाना (केवल मात्र पुलिस थाना बुहाना,पचेरी कलां एवं सिंघाना के क्षेत्राधिकार में दर्ज होने वाले प्रकरण)

नोटः–

1. झुंझुनूं न्यायक्षेत्र में वन विभाग एवं जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा दर्ज प्रकरणों के संबंध में झुंझुनूं न्यायक्षेत्र में आने वाले पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में अपराध घटित होना पाया जाता है, उसी पुलिस थाने से

संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता प्रदान की जाती है।

2. जहां क्षेत्राधिकार के संबंध में अतिलंघता की स्थिति है, वहां पर वरिष्ठतम श्रेणी के न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा और जहां दो न्यायालयों के बीच क्षेत्राधिकार के बाबत संदिग्धता है, वहां भी सुनवाई का क्षेत्राधिकार वरिष्ठतम न्यायालय को होगा। उसके उपरांत भी क्षेत्राधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं को होगा।

CJM Jhunjhunu
Digitally signed by KALU RAM
Location: Jhunjhunu
Date: 2025.02.12 16:34:10 +0530

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

क्रमांकः– 81–113 दिनांकः 12.02.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं
2. जिला कलेक्टर, झुंझुनूं
3. पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं (समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत)
4. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं/नवलगढ/उदयपुरवाटी पिलानी /खेतड़ी/चिड़ावा
5. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झुंझुनूं
6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं/चिड़ावा/उदयपुरवाटी/बुहाना/सूरजगढ़/ पिलानी / खेतड़ी
7. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
8. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय, झुंझुनूं
9. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नवलगढ़

10. जिला आबकारी अधिकारी, झुंझुनूं (समस्त आबकारी वृत्तों एवं थानों को सूचित करने बाबत)
11. जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनूं
12. पुलिस थाना पी.बी.आई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर
13. अध्यक्ष, बार संघ, झुंझुनूं/चिड़ावा/ उदयपुरवाटी/बुहाना/सूरजगढ़/ पिलानी/खेतड़ी /नवलगढ़
14. नोटिस बोर्ड।
15. सिस्टम ऑफिसर को अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

CJM Jhunjhunu
Digitally signed by KALU RAM
Location: Jhunjhunu
Date: 2025.02.12 16:34:24 +0530

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)